

प्रश्नकर्ता श्रीमती ऊषा चौधरी
सदन में उत्तर देने का दिनांक 04.12.2017

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1936

कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग ग्वालियर

क्रमांक/लेखा/2015/2224

ग्वालियर दिनांक 23/12/15

प्राप्ते.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म0प्र0 मोरारजी

विषय :- श्री सुरजीत सिंह, मृत्यु को पद से हटाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्था/6/2015/3043 दिनांक 15.12.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि श्री सुरजीत सिंह को कार्यालय संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) संभाग ग्वालियर में मृत्यु पद पर नियुक्ति नहीं दी गई थी।

श्रीमान् के पत्र क्रमांक/प्रशा./2/14/185 दिनांक 18.02.2014 में दिये निर्देशानुसार श्री सिंह को दैनिक कार्य के आधार पर कलेक्टर दर पर कार्य अवधि की मजदूरी का भुगतान किया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है)।

अतः संदर्भित पत्र के तारतम्य में जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता

संभाग ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक 23/12/15

प्रतिलिपि,

कलेक्टर जिला ग्वालियर को और श्रीमान् के पत्र क्रमांक व्य/17/12/2015 /17761 ग्वालियर, दिनांक 09/10.12.2015 के तारतम्य में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त आयुक्त सहकारिता

संभाग ग्वालियर

अनुमोदित अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

उप आयुक्त
सहकारिता म. प्र.

प्रश्नकर्ता श्रीमती ऊषा चौधरी
सदन में उत्तर देने का दिनांक 04.12.2017

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1936

**कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ,
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/प्रशा./2/14/ 185

दिनांक 18-2-17

प्रति

✓ संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता,
ग्यालियर

विषय:- वाहन क्रमांक एम0पी02 5574 हेतु वाहन चालक की व्यवस्था बाबद
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /1000 दिनांक 3.12.2013

000

3/15 कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । वाहन क्रमांक एम0पी02 5574 हेतु उर्वरक विकास कोष से कलेक्टर दर पर दैनिक पारिश्रमिक पर नियम/निर्देशों के पालन की शर्त पर वाहन चालक रखने की अनुमति प्रदान की जाती है । परन्तु इस संबंध न कोई नियम/निर्देश जारी न करें । साथ ही वाहन चालक को नियमित तौर पर लगातार न रखा जाकर उतने दिनों का पारिश्रमिक भुगतान किया जावे, जितने दिनों का कार्य लिया जाता है । साथ ही एक साथ 59 दिनों से अधिक तक दैनिक वेतन पर भुगतान न किया जावे ।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा आदेशित)

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित

Mep
अनुभागाध्यक्ष
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता मध्य प्रदेश
उप आयुक्त
सहकारिता म. प्र.